संख्या 2345 / II–2015–01(50) / 2011 टीसी

प्रेषक,

आनन्द वर्द्धन
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एंव विभागाध्यक्ष
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 30 अक्टूबर, 2015

विषय उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर अधिनियम के अन्तर्गत उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 2444 / मु0अ0वि0 / सि0वि0 / नि0अनु0 / डब्लू–1, दिनांक 24 अगस्त, 2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर अधिनियम–2012 की धारा–(9) एंव (10) के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन पर जलकर के लिए उत्तराखण्ड जल आयोग में उपयोगकर्ताओं को जल के उपयोग हेतु पंजीकृत करने के लिए अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एंव अवस्थापना मण्डल, देहरादून को नामित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्पादन पर जलकर अधिनियम–2012 की धारा–(9) एंव (10) के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन पर जलकर के लिए उत्तराखण्ड जल आयोग में उपयोगकर्ताओं की स्थापना करने का प्राविधान निहित है। परन्तु यह कि धारा के अधीन आयोग की स्थापना होने तक प्रमुख सचिव / सचिव सिंचाई, अधिनियम की अधीन आयोग की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा की व्यवस्था है।

चूंकि अभी उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर अधिनियम–2012 की धारा–20 की उपधारा (1) के अधीन आयोग का गठन नहीं हो पाया है और संगत अधिनियम को 15 अगस्त, 2015 से प्रभावी होने की अधिसूचना निर्गत की जा चुकी है।

अतः उक्त अधिनियम के प्राविधानों के कियान्वयन हेतु अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं अवस्थापना मण्डल, सिंचाई विभाग देहरादून को नोडल एजेंसी नामित किया जाता है जो मुख्य अभियन्ता प्रोजेक्ट सिंचाई विभाग और विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग के माध्यम से अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

E.E. & H.O.D.

भवदीय
(आनन्द वर्द्धन)
सचिव।

संख्या : / II–2015–01(50) / 2011टीसी तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 मुख्य अभियन्ता, परियोजना गढ़वाल सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
2 अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एंव अवस्थापना मण्डल, सिंचाई विभाग, देहरादून
3 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(किशन नाथ)
अपर सचिव

संख्या 2069 / II-2015-4(A6)/2015

प्रेषक,

आनन्द वर्द्धन
सचिव
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड ।

सिंचाई अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 05 नवम्बर, 2015

विषयः– जल विद्युत योजनाओं पर जल उपयोग कर लगाये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वर्तमान में उत्तराखण्ड में जल विद्युत उत्पादन हेतु अनेक योजनायें निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित है जिनमें या तो विद्युत उत्पादन किया जा रहा है अथवा विद्युत उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है ।

उत्तराखण्ड राज्य में जल विद्युत योजनाओं द्वारा विद्युत उत्पादन पर जल उपयोग कर लगाये जाने हेतु "उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर अधिनियम" लागू है जो 15.08.15 से प्रभावी है और एक्ट की प्रति वैबसाइट पर उपलब्ध है। इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य की सभी जल विद्युत परियोजनाओं का तुरन्त पंजीकरण किया जाना है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके जनपद के भोगोलिक क्षेत्र में स्थित राजकीय एवं निजी क्षेत्र की सभी निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं के नियंत्रण विभाग/राजकीय उपकमों/स्वामियों से उनके अधीनस्थ सभी जल विद्युत परियोजनाओं के जल प्रवाहन (डिस्चार्ज), हैड, जल विद्युत उत्पादन क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन आदि सूचनायें प्राप्त कर इस कार्यालय एवं कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं अवस्थापना मण्डल, यमुना भवन, यमुना कालोनी, देहरादून को मेल आई०डी० **watertaxhydeluk@gmail.com** पर तुरन्त उपलब्ध कराने का कष्ट करें। वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्र (विभाग की वेब साइट **www.uttarakhand irrigation.com** पर उपलब्ध है) पर उपलब्ध करायें।

भवदीय

(आनन्द वर्द्धन)
सचिव

पत्रांकः–2069/ /तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटिड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उत्तराखण्ड राज्य के भोगोलिक क्षेत्र में स्थित सभी जल विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में सभी वांछित सूचनायें अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं अवस्थापना मण्डल, यमुना भवन, यमुना कालोनी, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं अवस्थापना मण्डल, यमुना भवन, यमुना कालोनी, देहरादून को उत्तराखण्ड शासन, सिंचाई अनुभाग–2 के पत्र सं0–2345/II–2015–01(50)/2011 टीसी, दिनांक 30.10.2015 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आनन्द वर्द्धन)
सचिव